

आदेश ब इजलास राजव विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 312/2021 (धारा 14 सेक्युरिटाईजेशन)
आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड पता- तृतीय तल, जे एस ई एल बिल्डिंग, मालवीय नगर,
जयपुर ।

प्राधी वित्तीय संस्था

बचाम

1. श्री बनवारी लाल सराफ
पता :- फ्लेट नम्बर 302, तृतीय तल, प्लॉट नम्बर बी-11, सोनू ल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर।
पता :- सन्तोष ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, बी-18, न्यू अनाज मण्डी, चांदपोल, जयपुर।
2. श्री अजिंक्य अग्रवाल
पता :- बस्तर टैंक के पास, गोच व पोस्ट जसवन्तगढ़, जिला नागौर एवं
एवं फ्लेट नम्बर 501, पांचता फ्लोर, गुरुपद्मा सुमेरु, प्लॉट नम्बर 7, श्रीन त्रिवेणी
रेजिडेंसीयल स्कीम, सीकर रोड, जयपुर।
3. सुशोचना देवी सराफ
पता :- फ्लेट नम्बर 302, तृतीय तल, प्लॉट नम्बर बी-11, सोनू ल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर।
पता :- सन्तोष ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, बी-18, न्यू अनाज मण्डी, चांदपोल, जयपुर।

अप्राधीगण
त्रुणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002.

उपस्थित-

1. श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्राधी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक 15.02.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्राधी वित्तीय संस्था ने अप्राधी त्रुणी को दिनांक 09.01.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्राधी श्री बनवारीलाल सराफ के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नम्बर 110, प्लॉट नम्बर जी-1, प्रथम तल, ब्लॉक बी, अराधना रेजिडेंसी, मंगलम सिटी, कालवाड़ रोड, जयपुर क्षेत्रफल 1224 वर्गफिट को बन्धक रखकर कुल राशि 22,98,000/-रुपये की त्रुण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्राधी त्रुणी द्वारा प्राधी वित्तीय संस्था को त्रुण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्राधी त्रुणी को दिनांक 17.08.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद त्रुण राशि मस ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राधी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्राधीना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इगदाव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।
3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का गवीमांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 22,95,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार, ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि गय ब्याज कुल राशि 24,70,243/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 17.08.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्पण में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष अप्रार्थी श्री बनवाशीलाल सार्सफ के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लेट नम्बर 110, प्लाट नम्बर जी-1, प्रथम तल, ब्लॉक बी, अराधना रेजीडेन्सी, मंगलम सिटी, कलवाड रोड, जयपुर क्षेत्रफल 1224 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर/पुलिस अधीक्षक जयपुर घाघीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट गिजवाने हेतु आवन्द करे। आदेश की प्रति हरब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तार हो।
7. आदेश आज दिनांक 15.02.2022 को सरे इजलारा सुनाया गया।



(राजन विशाल)
जिम्मा मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर